प्रेषक,

कमलेश कुमार,
उप सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/ महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 लखनऊ दिनांक 02 अप्रैल, 2026

विषय:- केन्द्रीय कारागार, आगरा में निरूद्ध सिद्धदोष बंदी अरविन्द पुत्र श्री सुन्दर लाल यादव, निवासी जनपद-झॉसी की 14 वर्षीय नामिनल रोल के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक उप महानिरीक्षक, (मु0) कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें, उ0प्र0 के पत्र संख्या-25377/प्रो0अनु0(2)-2024/(बैठक दिनांक 13.08.2024), दिनांक 16.08.2024 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार केन्द्रीय कारागार, आगरा में निरूद्ध सिद्धदोष बंदी अरविन्द पुत्र श्री सुन्दर लाल यादव, मौहल्ला ग्वालटोली हसारी, थाना-प्रेमनगर, जनपद-झॉसी का निवासी है। दिनांक 03.09.2005 को दोनों पक्षों के मध्य पूर्व से चली आ रही रंजिश के कारण बन्दी ने अपने 01 सहअभियुक्त के साथ मिलकर तमन्चों से गोली मारकर रघुवर दयाल, अशोक एवं जगदीश नामक 03 व्यक्तियों की हत्या कर दी। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या- 12/2006, धारा-302 आई.पी.सी. व 3(1) गैंगस्टर एक्ट के अन्तर्गत मा० अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश (गैगेस्टर एक्ट) कोर्ट संख्या-02, झॉसी के आदेश दिनांक 19.02.2008 द्वारा आजीवन कारावास की सजा से दण्डित किया गया। मा० उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के आदेश दिनांक 01.10.2015 एवं मा0 उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली के आदेश दिनांक 30.07.2018 द्वारा बंदी की अपील निर्णीत करते हुए आजीवन कारावास की सजा को यथावत् रखा गया। दिनांक 07.08.2024 तक बंदी द्वारा अपरिहार 18 वर्ष, 08 माह, 14 दिन तथा सपरिहार 23 वर्ष, 05 माह, 17 दिन की सजा भोगी गयी है। दिनांक 07.08.2024 को बन्दी की आयु 42 वर्ष, 10 माह, 21 दिन है।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट, झॉसी द्वारा मा० उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में बन्दी का अपराध समाज को व्यापक रूप से प्रभावित करने, भविष्य में पुनः अपराध करने की पूर्ण सम्भावना से इन्कार नही किये जाने, पुनः अपराध करने की पूर्ण सम्भावना होने, कारागार से छोडे जाने पर समाज में शान्ति व्यवस्था भंग होने की पूर्ण सम्भावना होने, बन्दी के परिवार की सामाजिक, आर्थिक दशा समयपूर्व रिहाई हेतु उपयुक्त नहीं होने की आख्या अंकित करते हुए समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

क्रिमिनल रिट याचिका संख्या-48/2014 भारत संघ बनाम वी० श्रीहरन उर्फ मुर्गन व अन्य में मा० उच्चतम् न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा पारित आदेश दिनांक 02.12.2015 के अनुपालन में मा० दण्डन न्यायालय के पीठासीन अधिकारी के अभिमत दिनांक 09.07.2024 में अंकित किया गया है कि बंदी का कृत कृत्य पीड़ित परिवार सहित सम्पूर्ण समाज के प्रति अत्यन्त गंभीर व जघन्य है, जो क्षम्य नहीं है। रिट याचिका (क्रि0) संख्या-491/2022 बिलकीस याकूब रसूल बनाम भारत संघ व अन्य में मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 08.01.2024 में दिये गये नीतिगत एवं मार्गदर्शन सिद्धान्तों के

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

अनुरूप परीक्षण कर वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, आगरा के पत्र दिनांक 17.07.2024 द्वारा प्रस्ताव उपलब्ध कराया गया है।

सलाहकार समिति का अभिमत है कि दिनांक 03.09.2005 को दोनों पक्षों के मध्य पूर्व से चली आ रही रंजिश के कारण बन्दी ने अपने 01 सहअभियुक्त के साथ मिलकर तमन्चों से गोली मारकर रघुवर दयाल, अशोक एवं जगदीश नामक 03 व्यक्तियों की हत्या करने का जघन्य अपराध कारित किया गया है। इस प्रकार वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा मा० उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में बंदी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं किए जाने, पीठासीन अधिकारी के अभिमत दिनांक 09.07.2024 के अनुसार बन्दी का कृत्य पीड़ित के परिवार सहित सम्पूर्ण समाज के प्रति अत्यन्त गंभीर व जघन्य होने व क्षम्य नही होने एवं बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गम्भीरता एवं जघन्यता के दृष्टिगत सी०आर०पी०सी० की धारा-432 द०प्र०सं० के अन्तर्गत सिद्धदोष बन्दी अरविन्द पुत्र श्री सुन्दरलाल यादव को उ०प्र० जेल मैनुअल प्रस्तर-180 के अन्तर्गत 14 वर्षीय नामिनल रोल के आधार पर समयपूर्व रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है।

3- उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि केन्द्रीय कारागार, आगरा में निरूद्ध सिद्धदोष बंदी अरविन्द (बन्दी संख्या-15803) पुत्र श्री सुन्दर लाल यादव, निवासी जनपद-झॉसी की जेल मैनुअल के प्रस्तर-180 के अन्तर्गत 14 वर्षीय नामिनल रोल के आधार पर समयपूर्व रिहाई सम्यक् विचारोपरान्त श्री राज्यपाल द्वारा अस्वीकार कर दी गयी है।

कृपया उपरोक्त निर्णय से बन्दी को भी अवगत कराने का कष्ट करे।

भवदीय,
कमलेश कुमार
उप सचिव।

संख्या-313/2026/1338(1)/22-2-2024 तद्दिनांक...

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- जिला मजिस्ट्रेट, झॉसी।
2- पुलिस अधीक्षक, झॉसी।
3- वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, झॉसी।
4- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, आगरा।
5- नोडल अधिकारी/अधीक्षक, जिला कारागार, गाजियाबाद को विशेष अनुज्ञा याचिका (क्रिमि0) संख्या-529/2021 सोनाधर बनाम छत्तीसगढ़ राज्य तथा सुओ मोटो रिट पिटीशन (क्रिमि0) संख्या-04/2021 पॉलिसी स्ट्रेट्जी फार ग्रान्ट ऑफ बेल में मा0 उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा पारित आदेश दिनांक 10.09.2024 के सन्दर्भ में।
6- निजी सचिव, मा0 मंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।
7- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।
8- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
ममता श्रीवास्तव
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।